UPFR010022262024

Sessions Case/233/2024 Kampil
State Government Vs. Ahibaran and 6 Others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०),तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– शैलेन्द्र सचान–––––––––एच०जे०एस०। J.O.Code–UP2406

सत्र परीक्षण सं०–233/2024

राज्य

बनाम

1– मुनीश पुत्र स्व० छदामी लाल निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद।

2– अहिवरन पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद।

3– विजेन्द्र पुत्र श्री तेज सिंह निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद।

4– महताब सिंह पुत्र श्री अतर सिंह निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद।

5– रामदास पुत्र मिही लाल निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जला फर्रूखाबाद।

(मृत्यु हो जाने के कारण आदेश दिनांकित 06–03–2025 के माध्यम से पत्रावली पृथक)

6– श्यामपाल पुत्र जाहर सिंह निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद।

7– नेकसे पुत्र निरंजन सिह निवासी हकीमतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद।**(मृत्यु हो जाने के कारण वाद की कार्यवाही आदेश दिनांक 26–07–2024 से उपशमित)**

अ०स०–64A/1995
धारा–147,148,307/149,
323/149 भा० द० सं०
थाना– कम्पिल ,
जिला फर्रूखाबाद।

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.07.13 17:12:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकरण में वादी रघुनाथ सिंह द्वारा विपक्षीगण अहिवरन, सोवरन, जाहर सिंह, रामदास, अतर सिंह, रामकिशन, महमाव सिंह , विजेन्द्र सिंह, मुनीश कुमार, श्यामपाल , सुग्रीव , हुकुम सिंह व नेकसे के विरूद्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द०प्र०स० प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 06–04–1995 के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिनांकित 14–05–1997 दाखिल किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश से अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 323/149 भा० द० सं० के तलब कर प्रकरण को स्टेट केस के रूप में संचालित किया गया। तदुपरान्त अभियुक्तगण को नकले प्रदान की गयी तथा विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2– वादी रघुनाथ सिंह की तहरीर के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के गांव के सोवरन सिंह, अहिवरन सिंह , जाहर सिंह व रामदास है। इन लोगों से चीनी के कोटे को न बाटने की वजह से विवाद था। कई साल से इनके पास चीनी का कोटा था जिससे पूरा गांव परेशान था। उसने व गांव वालों ने शिकायत कर उसके लडका रमेश के नाम चीनी का कोटा करवा दिया था। इसी वजह से उन लोगों से मुल्जिमान रंजिश मानते थे तथा उसने सोसाइटी के चुनाव में भी हरवाया था। दिनांक 17–03–1995 को समय करीव नौ बजे रात्रि का था वह स्वंय उसका लडका रमेश, संतोष, पुष्पेन्द्र, रामरतन देवशरण, वीरेन्द्र सभी लोग गांव के रामवीर की मां की होली मना कर घर वापस आ रहे थे कि जैसे ही अनार सिंह के घर की गली में आया तो देखा कि सामने से गांव के अहिवरन सिंह के हाथ में रायफल , सोवरन हाथ में बन्दूक लाइसेंसी व जाहर सिंह लाठी , रामदास बन्दूक , अतर सिंह लाठी लिए हुए रामकिशन मय लाइसेंसी बन्दूक महताव सिंह , विजेन्द्र सिंह, मुनीश कुमार व श्यामपाल, जाहर सिंह सुगीव, हुकुम सिंह व अन्य जिनके हाथों में लाठियां थी । एक दम रामदास ने आवाज लगायी कि आज अच्छा मौका है मारों सालों को बचने न पाए। सभी एक राय होकर चारों तरफ होकर फायर जान से मारने की नियत से करने लगे । अहिवरनसिंह, सोवरन सिंह, रामकिशन ने अन्धाधुन्ध फार शुरू कर दिया तथा सभी लोगो ने लाठियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। वह लोग चिल्लाने लगे बचाओ मारे डाल रहे है। उनके शोर पर भाई शेर सिंह व शेषपाल , रामवरन आदि गांव के

बहुत से आदमी आ गए जिन्होनें यह किस्सा देखा व बचाया। उन लोगों के लाठियां व बन्दूक के फायर से चोटे आयी है। मुल्जिमान उनका रास्ता घेरे रहे इसलिए वह लोग छिपकर सरकारी अस्पताल अलीगंज में इलाज व डाक्टरी मुआयना कराया तथा थाना अलीगंज में रिपोर्ट करने गया तो उनकी रिपोर्ट नही लिखी गयी।

3– प्रस्तुत प्रकरण में वादी रघुनाथ सिंह द्वारा विपक्षीगण अहिवरन, सोवरन, जाहर सिंह, रामदास, अतर सिंह, रामकिशन, महमाव सिंह , विजेन्द्र सिंह, मुनीश कुमार, श्यामपाल , सुग्रीव , हुकुम सिंह व नेकसे के विरूद्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द०प्र०स० प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 06–04–1995 के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिनांकित 14–05–1997 दाखिल किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश से अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 323/149 भा० द० सं० के तलब किया गया ।

4– अभियुक्तगण मुनीश अहिवरन, विजेन्द्र, महताब, रामदास व श्यामपाल के विरुद्ध धारा 147, 148, 307/149, 323/149 भा० द० सं० के अन्तर्गत आरोप दिनांक 30–07–2024 को इस न्यायालय द्वारा विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० 1 संतोष , पी०डब्लू० 2 देवसरन, पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र , पी०डब्लू० 4 पुष्पेन्द्र , पी०डब्लू० 5 डा० सुरेन्द्र पाठवार को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन की तरफ से परीक्षित नही कराया गया है।

6– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नवत है।

क्र० स०	**साक्षी**	**साक्षी का नाम**	**का०स०, प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श स०**
1	पी०डब्लू० 1	संतोष	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०स० का०स० 4A/6 लगायत 4A/7 को उसके चाचा	प्रदर्श क 1

			रघुनाथ सिंह के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की	
2	पी०डब्लू० 1	संतोष	प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र का०स० 38A/1 लगायत 38A/2 को उसके चाचा रघुनाथ सिंह के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की	प्रदर्श क 2
3	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रमेश की मेडिकल आख्या का०स० 6A/1	प्रदर्श क 3
4	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रघुनाथ की मेडिकल आख्या का०स० 6A/2	प्रदर्श क 4
5	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रामरतन की मेडिकल आख्या का०स० 6A/3	प्रदर्श क 5
6	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल देवसरन की मेडिकल आख्या का०स० 6A/4	प्रदर्श क 6
7	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल वीरेन्द्र सिंह की मेडिकल आख्या का०स० 6A/5	प्रदर्श क 7
8	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल संतोष कुमार की मेडिकल आख्या का०स० 6A/6	प्रदर्श क 8
9	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल पुष्पेन्द्र की मेडिकल आख्या का०स०	प्रदर्श क 9

			6A/7	
10	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रघुनाथ की एक्स रे स्लिप का०स० 6A/8	प्रदर्श क 10
11	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रघुनाथ की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट का०स० 7A/2	प्रदर्श क 11
12	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रामरतन की एक्स रे स्लिप का०स० 7A/3	प्रदर्श क 12
13	पी०डब्लू० 5	डा० सुरेन्द्र पठवार	चुटहिल रामरतन की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट का०स० 7A/5	प्रदर्श क 13

7– अभियुक्तगण मुनीश अहिवरन, विजेन्द्र, महताब व श्यामपाल के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० दिनांक 21.05.2026 को अंकित किये गये।

अभियुक्तगण मुनीश अहिवरन, विजेन्द्र, महताब व श्यामपाल द्वारा समान रूप से अभियोजन कथानक को गलत बताया। साक्षी पी०डब्लू० 1 संतोष के साक्ष्य को गलत बताया तथा प्रदर्श क 1 एवं प्रदर्श क 2 के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इंकार किया। साक्षी पी०डब्लू० 2 देवसरन के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इंकार किया है। साक्षी पी०डबलू० 3 वीरेन्द्र, पी०डब्लू० 4 पुष्पेन्द्र व पी०डब्लू० 5 डा० सुरेन्द्र पठवार के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नही कहा है। अभियुक्त द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया है तथा अतिरिक्त कथन में कुछ नही कहा है।

8– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1** संतोष ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.03.95 की बात है वह अपने चचेरे भाई रमेश, चाचा रघुनाथ, देवसरन, पुष्पेन्द्र , रामरतन , वीरेन्द्र, व अन्य गांव वालो के साथ होली मिलने के लिए गांव में धूम रहा था। वे लोग होली मिलकर समय करीब 9 बजे रात्रि में आ रहे थे तभी अनार सिंह के घर के पास गली में अचानक फायरिंग होने लगी और वहां भीड इकट्ठी हो गयी थी। गली मे अंधेरा था कौन कौन फायरिंग कर रहा था वह नहीं देख पाया था। कई फायर हुई थी। जिसमें उसके परिवार के लोगो तथा उसके चाचा रघुनाध के गोली लगी थी। लाठी डंडे भी

चले थे। भगदड में वह गिर गया था। उसके भी चोट लगी थी। घटना के संबंध मे उसके चाचा रघुनाथ द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट लिखायी थी। पत्रावली पर पेपर संख्या4A/6 लगायत 4A/7 प्रार्थना 156(3)crpc पर तथा पेपर संख्या38A/1 लगायत 38A/2 प्रोटेस्ट प्रार्थऩा पत्र पर साक्षी ने रघुनाथ सिंह के हस्ताक्षरों को देखकर बताया कि इस पर बने हस्ताक्षर उसके चाचा रघुनाथ सिंह के है जिन्हें वह भली भांति पहचानता है । उसके आयी चोटो का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा उसका कोई बयान नहीं लिया गया। साक्षी द्वारा पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र धारा156(3)द०प्र०स० 4A/6 लगायत 4A/7, पत्रावली पर संलग्न प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 38A/1 लगायत 38A/2 पर स्वंय के चाचा रघुनाथ सिंह के हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क 1, 2** के रुप में साबित किया है।

पी०डब्लू० 1 संतोष द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसे कोई गोली की चोट नही लगी थी। घटना में रमेश , रामरतन , देवसरन , वीरेन्द्र व पुष्पेन्द्र के चोटे आयी थी। घटना वाले दिन वह थाने नही गया था। उसको आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना अलीगंज जनपद एटा में हुआ था तथा उसके साथ ही अन्य घायलों को भी इलाज हुआ था। देवसरन के फायर आर्म्स की चोटे आयी थी। इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि घटना का क्रास केस लम्बित है जिसमें वह मुल्जिम है। इस साक्षी द्वारा घटना के सम्बन्ध में विवेचक अथवा न्यायालय में शपथ पत्र दिए जाने से इंकार किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि होली का त्योहार गांव में मनाया गया था सभी एक दूसरे के घर गए थे , आपस में मेल मिलाप हुआ था। उस दिन मुल्जिमान से कोई झगडा नही हुआ था। अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नही की गयी थी, न ही फायर किया गया था, न ही गालीगाौज व धमकी दी गयी थी। ट्रैक्टर की ट्राली पलट जाने के कारण उसको चोटे आयी थी। चाचा रघुनाथ ने थाने में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया था तथा न ही थाने गए थे। इस साक्षी द्वारा कहा गया कि उसके चाचा ने बहकावे में आकर न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था तथा बहकावे के आधार पर ही अंतिम आख्या के विरूद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी है। लोगों के कहने पर मुल्जिमानों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

मुल्जिम पूर्णतः निर्दोष हैं।

9– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 देवसरन** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.03.95 को वह अपने गांव के संतोष , रमेशचन्द्र, रघुनाथ, पुष्पेन्द्र, रामरतन, वीरेन्द्र, आदि लोगो के साथ गांव में होली मिलने के लिए घूम रहा था। समय करीब 9:00 बजे रात्रि वे लोग अनार सिंह के मकान के पास इकट्ठे थे और वह लोग आ गये थे। कुछ लोगो में कहासुनी होने लगी व थोडी ही देर में फायरिंग होने लगी। भगदड़ मच गयी भगदड़ में गिर गया , उसके भी चोटे आयी थी। गांव के कई लोग घायल हो गये थे। घटना के सम्बन्ध में उसके गांव के रघुनाथ ने रिपोर्ट लिखाई थी। उसके आयी चोटो का अन्य घायलों के साथ डाक्टरी मुआयना अलीगंज एटा में हुआ था। उसने मुनीश अहिवरन , विजेन्द्र, महताब, रामदास, व श्यामपाल को अपने ऊपर लाठी डंडे चलाते अथवा फायरिंग करते नहीं देखा था।

पी०डब्लू० 2 देवसरन द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि रघुनाथ व रामशरन के फायर की चोटे आयी थी। उसके ईट अनार सिंह के घर के पास लगी थी। फायर की घटना सोवरन सिह के घर के सामने हुयी थी। इस मुकदमें का क्रास केस भी है जिसमें वह मुल्जिम है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा विवेचक को बयान दिए जाने से इंकार किया गया है। मुल्जिमान द्वारा कोई मारपीट व फायर की चोट नही पहुचायी गयी थी। उसके द्वारा मुल्जिमान को घटना कारित करते हुए नही देखा गया था। इस साक्षी द्वारा भी झूठी रिपोर्ट रघुनाथ द्वारा लिखाए जाने का कथन किय गया है तथा स्वंय के चोट ट्रैक्टर ट्राली से गिर जाने के कारण आना बताया गया।

10– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.03.95 को वह अपने गांव के संतोष, रमेशचन्द्र, रघुनाथ, पुष्पेन्द्र, रामरतन , देवसरन आदि लोगो के साथ होली मिलने के लिए गांव में घूम रहा था। होली वाले दिन ही रात करीब नौ बजे वह लोग अनार सिह के मकान के पास इकट्ठे थे तभी गांव के कुछ लोगो की भीड आ गयी। कुछ लोगो मे कहा सुनी होने लगी व थोडी ही देर में मारपीट होने लगी व भगदढ मच गयी। फायरिंग होने लगी। उसके भी चोटे लगी थी और

उसके साथ के कई लोग घायल हो गये थे। जिनमें रघुनाथ, रामरतन, देवसरन, रमेश, संतोष , पुष्पेन्द्र व वह घायल हो गया था। देवसरन व रघुनाथ के गोली लगी थी उसके व अन्य लोगो के लाठी डंडो लगे थे। घटना की रिपोर्ट रघुनाथ ने लिखाई थी। वह लाठी डंडा चलाने वाले अथवा फायर करने वालो को देख नहीं पाया था।

पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि इस मुकदमें का क्रास केस न्यायालय में लम्बित है जिसमें वह अभियुक्त है। घटना में सोवरन, मुनीश व इशनपाल को गोली लगी थी । देवसरन के पीठ में गोली लगी थी। उसके द्वारा घटना स्थल पर अभियुक्तगण को नही देखा गया था।

बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी जिरह की गयी, जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ कोई मारपीट अथवा फायर नही की गयी उसको चोटे ट्रैक्टरी ट्राली से गिरने से आयी थी। रघुनाथ ने झूठा मुकदमा लिखा दिया था। उसने विवेचक को कोई बयान नही दिया था विवेचक ने बयान कैसे लिख लिया इसकी बजह नही बता सकता।

11– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 पुष्पेन्द्र** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.03.95 को होली के दिन की बात है गांव के विरेन्द्र, संतोष, रमेशचन्द्र, रघुनाथ, रामसरन देवसरन आदि लोगो के साथ वह होली मिलने के लिए गांव में घूमते हुए रात करीब समय 9:00 बजे अनार सिंह के घर के पास गली में आए थे। तभी वहां भीड इकट्ठी हो गयी थी और भीड में कुछ लोगो में झगडा हो रहा था कुछ देर मे मारपीट व फायरिंग होने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गये थे। उसके भी चोटे आयी थी । चीखपुकार पर गांव के बहुत से लोग आ गये थे। उसने अपने साथ मारपीट करने वाले अथवा फायरिंग करने वालो को नहीं देखा था। उसका व अन्य घायलों का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था।

पी०डब्लू० 4 पुष्पेन्द्र द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि इस मुकदमें का क्रास केस न्यायालय में लम्बित है जिसमें वह अभियुक्त है। उसने सोवरन को

गोली चलाते हुए नही देखा था। गांव की गली में जब पहुचा था तब वहां 30–40 लोगों की भीड थी।

बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी जिरह से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसने विवेचक को कोई बयान नही दिया था विवेचक ने बयान कैसे लिख लिया इसकी बजह नही बता सकता। मुल्जिमानों द्वारा उसके साथ कोई मारपीट आदि नही की गयी थी न ही गोली चलायी गयी थी। उसके जो भी चोटे आयी है वह ट्रैक्टर से गिरने के कारण आयी है। रघुनाथ ने गलत मुकदमा लिखाया था। उसके द्वारा अभियुक्तगण को मारपीट व फायर करते हुए नही देखा गया था।

12– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० सुरेन्द्र पठवार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.03.1995 समय 12:35 PM को वह चिकित्सा अधिकारी के पद पर सी० एच० सी० अलीगंज एटा में तैनात था। उस दिन **रामरतन पुत्र अमर सिंह** जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था । चोटों का विवरण निम्न हैंः–

1. फटा हुआ घाव जिसका आकार 0.3 Cm X 0.2 cm दाहिनी हथेली व अंगूठा के बीच में था जिसमें Blacking and tattoing मौजूद थी। जिसको एक्स रे कि लिए सलाह दी थी और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था।

राय. चोटों की प्रकृति साधारण थी और चोटों 3/4 दिन पुरानी थी। चोट का कारण जानने के लिए चोटैल को जेरे निगरानी रखा गया और एक्स रे रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया गया। यह चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट का०संख्या 6A/3 के रूप में पत्रावली में संलग्न होना बताया है।

साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 18.03.95 को समय 12:10 Pm पर **चुटैल देवसरन पुत्र रूस्तम सिंह** उम्र 23 वर्ष निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद का चिकित्सीय परीक्षण कर चोटों का विवरण अंकित किया था । मजरूब को निम्न चोटे आयी थीः–

1. नीलगू लिये हुए निशान कंधे के रीजन में जिसका आकार 12 Cm X 3Cm दाहिने कंधे के जोड़ से 13Cm नीचे मौजूद था।

2. नीलगू लिये हुए निशान पीठ पर जिसका आकार 15 Cm X 3 Cm रीढ़ की हड्डी के 6 Cm दूरी पर मौजूद था।

3. नीलगू लिये हुए निशान जिसका आकार 6 Cm X 3 Cm दाहिनी हाथ की कोहनी पर था।

राय. सभी चोटों की प्रकृति साधारण थी और सभी चोटें ठोस व कुंदाले से आना संभव है। चोटें 3/4 दिन पुरानी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/4 के रूप में संलग्न होना बताया है।

इसके अतिरिक्त् साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 18.03.95 को समय 12:25 Pm पर **चुटैल वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह** उम्र 26 वर्ष निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया जानातथा निम्न चोटे पाया जाना बताया हैः–

1. खरोच लिए हुए चोट जिसका आकार 5 Cm X 2 Cm दाहिनी तरफ पीठ पर मौजूद था जोकि रीढ की हड्डी से 4Cm दूरी पर था।

२. नीलगू निशान जिसका आकार 4 Cm X 2 Cm दाहिनी पीठ की तरफ और चोट नं० एक से 5 Cm नीचे था।

3. पेट दर्द की शिकायत बतायी थी।

राय. सभी चोटें की प्रकृति साधारण थी और सभी चोटें ठोस व कुंदाले से आना संभव है। चोटें 3/4 दिन पुरानी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/5 के रूप में संलग्न है।

साक्षी ने दिनांक 18.03.95 को समय 12:20 Pm पर **चुटैल संतोष कुमार पुत्र शेर सिंह** निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना तथा निम्न चोटे पाया जाना बताया हैः–

1. नीलगू निशान 4 Cm X 1 Cm जोकि पीठ की बायी तरफ और रीढ़ की हड्डी से 3 Cm दूर था।

2. नीलगू निशान 11 Cm X 2 Cm बायी तरफ रीढ़ की हड्डी से 3 Cm दूर और चोट नं० एक से 4 Cm नीचे था।

3. नीलगू निशान 5Cm X 2Cm पीठ के बायी तरफ चोट नं० दो से 11 Cm नीचे मौजूद था।

3. नीलगू निशान 11Cm X 2Cm पीठ के दायी तरफ Scapular region पर 6Cm रीढ़ की हड्डी से दूर मौजूद था।

4. नीलगू निशान 4Cm X 2Cm पीठ के दायी तरफ 7Cm रीढ़ के हड्डी से दूर मौजूद था।

5. नीलगू निशान 4Cm X 2Cm बायी भुजा पर कोहनी से 7 Cm दूर मौजदू था।

6. खुरसठ 1 Cm X 1Cm दायी भुजा पर जोकि 5Cm कलाई से ऊपर मौजूद था।

राय. सभी चोटों की प्रकृति साधारण थी और सभी चोटें ठोस व कुंदाले से आना संभव है। चोटें 3/4 दिन पुरानी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/6 के रूप में संलग्न होने का कथन किया है।

साक्षी ने दिनांक 18.03.95 को समय़ 12:15 Pm पर **चुटैल पुष्पेन्द्र पुत्र जयवीर** उम्र 19 वर्ष निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना तथा निम्न चोटे पाया जाना बताया हैः–

1. नीलगू निशान 6Cm X 3Cm पीठ की बायी तरफ और रीढ़ की हड्डी से 3Cm ऊपर मौजूद था।

2. नीलगू निशान 6Cm X 3Cm पीठ की बायी तरफ चोट नं० एक से 11 Cm नीचे मौजूद था।

3. नीलगू निशान 7Cm X 3Cm चोट नं० दो से 10 Cm नीचे मौजूद था।

4. नीलगू निशान 10 Cm X 2.5 Cm रीढ़ की हड्डी पर दाये तरफ कंधे से 5Cm नीचे मौजूद था।

5. नीलगू निशान 5cm X 3cm दाहिनी तरफ रीढ़ की हड्डी पर मौजूद थी।

राय. सभी चोटों की प्रकृति साधारण थी और सभी चोटें ठोस व कुंदाले से आना संभव है। चोटें 3/4 दिन पुरानी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/7 के रूप में संलग्न है।

साक्षी द्वारा दिनांक 18.03.95 को समय 12:30 Pm पर **रमेश पुत्र रघुनाथ** उम्र 24 वर्ष निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना तथा निम्न चोटे पाया जाना बताया हैः–

1. नीलगू निशान 3Cm X 4Cm दाहिनी तरफ रीढ़ की हड्डी के पास 5Cm दूरी पर मौजूद था।

2. नीलगू निशान 8Cm X 2Cm बायी तरफ पीछे 11Cm चोट नं० एक से नीचे मौजूद था।

3. नीलगू निशान 5Cm X 2 Cm दाहिनी तरफ पीछे 5Cm रीढ़ की हड्डी के पास मौजूद था।

4. खरौंच का निशान 4Cm X 1Cm दाहिनी भुजा पर कोहनी के पास मौजूद था।

5. नीलगू निशान 7Cm X 2Cm बाये हाथ पर जोड़ से 6cm की दूरी पर मौजूद था।

राय. सभी चोटों की प्रकृति साधारण थी और सभी चोटें ठोस व कुंदाले से आना संभव है। चोटें 3/4 दिन पुरानी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/1 के रूप में संलग्न है।

साक्षी ने दिनांक 18.03.95 को समय 12:05 Pm पर **रघुनाथ सिंह पुत्र सरदार सिंह** उम 48 वर्ष निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जिला फर्रूखाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना तथा निम्न चोटे पाया जाना बताया हैः–

1. फटा हुआ घाव जिसका आकार 0.3 Cm X 0.3 Cm गर्दन के पीछे 6.5Cm बाये कान के नीचे मौजूद था। जिसके एक्स–रे के लिए सलाह दी थी।

2. चोट लिए सूजन जिसका आकार 2Cm X 2cm चेहरे के दायी तरफ 3Cm दायी आंख के नीचे वाली पलक के नीचे मौजूद था।

3. खरोंच 5Cm X 3Cm स्केपलर एंगल के दायी तरफ मौजूद था।

4. पेट में दर्द की शिकायत ।

राय. चोटो की प्रकृति साधारण थी । चोटे लगभग 3/4 दिन पुरानी थी। चोट नं० दो, तीन, चार ठोस कुदाले से आना संभव है। और चोट नं० एक जरिये निगरानी रखते हुए एक्स रे के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। उक्त चिकित्सीय परीक्षण पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/2 के रूप में संलग्न है।

साक्षी द्वारा मजरूबों के चिकित्सीय प्रपत्रों को वीडियो कान्फ्रेसिग के माध्यम से देखकर उनको स्वंय द्वारा तैयार किए जाने का कथन करते हुए क्रमशः प्रदर्श क 3 लगायत 9 के रूप में साबित किया गया है।

इसके अतिरिक्त साक्षी द्वारा पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 6A/8 मजरुब रघुनाथ की एक्स रे स्लिप तथा कागज संख्या 7A/2 मजरुब रघुनाथ की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक माध्यम से देखकर दोनो प्रपत्र को स्वंय द्वारा तैयार किये जाने एवं स्वंय के लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए क्रमशः प्रदर्श क 10 लगायत 11 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मजरूब रघुनाथ की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट के अनुसार मजरूब के गर्दन पर आयी चोट संख्या एक. गनसाट इंजरी थी।

साक्षी द्वारा मजरूब रामरतन की एक्स रे स्लिप कागज संख्या 7A/3 व

सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट 7A/5 को साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखाई गयी तो साक्षी ने देखकर कहा ये दोनो प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किये गये है जो उसके लेख व हस्ताक्षर है जिनकी उसके द्वारा पुष्टि करते हुए क्रमशः **प्रदर्श क 12, प्रदर्श क 13** के रुप में साबित किया गया। मजरूब के दाहिने हाथ के अंगूठे एव अंगुली के बीच में चोट न० 1 गनसाट की चोट पायी गयी।

पी०डब्लू० 5 डा० सुरेन्द्र पठवार द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में कथन किया गया है कि मजरूब रमेश, देवसरन, वीरेन्द्र सिंह, संतोष व पुष्पेन्द्र के आयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी, चोटे बनायी नही जा सकती है। सातों मजरूवों को मेडिकल उसके द्वारा प्राइवेट में किया गया था। थाने से किसी प्रकार की मजरूबी चिटठी नही आयी थी न ही उन्हें थाने से कोई लेकर आया था। इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि हकीकतपुर कम्पिल फर्रूखाबाद क्षेत्र में आता है जबकि वह अलीगंज एटा में तैनात है। कम्पिल का क्षेत्र उसके क्षेत्राधिकार में नही आता है। साक्षी द्वारा कहा गया है कि मजरूब रघुनाथ को आयी चोटे प्राणघातक नही थी। इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसकी पहली पोस्टिंग होने के कारण वह क्षेत्र से अनभिज्ञ था तथा उसे यह जानकारी नही थी कि किसी मुकदमें के मजरूबों का मेडिकल मजरूबी चिटठी के आधार पर किया जाता है।

मैने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

<u>अभियोजन का तर्क</u>

13– अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि क्रास केस में समझौता हो जाने के कारण परीक्षित कराए गए सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है किन्तु अभियोजन द्वारा की गयी जिरह से घटना कारित किया जाना साबित होता है। मेडिकल परीक्षण करने वाले साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० सुरेन्द्र पठवार के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी तथा उक्त घटना में देवसरन , वीरेन्द्र, संतोष, पुष्पेन्द्र , रमेश व रघुनाथ घायल हुए जिनका चिकित्सीय परीक्षण पी०डब्लू० 5 डा० सुरेन्द्र पठवार द्वारा किया गया। अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित होता है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

बचाव पक्ष का तर्क

14– बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नही किया गया है। सभी साक्षियों द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि रघुनाथ द्वारा लोगों के कहने पर गलत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। सभी चुटहिल साक्षियों द्वारा उनके चोटे ट्रैक्टर,ट्राली से गिरने से आना बताया गया है। सभी साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज नही किया जाना स्पष्ट रूप से कहा गया है, साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उनपर फायर नही किया गया है। अभियोजन अपने केस को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण

15– अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 1 संतोष, पी०डब्लू० 2 देवसरन, पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र व पी०डब्लू० 4 पुष्पेन्द्र को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त चारो साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण निम्नवत किया जा रहा हैः–

16– पी०डब्लू० 1 संतोष, पी०डब्लू० 2 देवसरन, पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र एवं पी०डब्लू० 4 पुष्पिन्द्र द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान स्वंय की मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। पी०डब्लू० 1 द्वारा मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि घटना के समय अचानक फायरिंग होने लगी जिससे वहां भीड इकटठा हो गयी । घटना स्थल पर अंधेरा होने के कारण वह यह नही देख पाया कि कौन फायरिंग कर रहा था। पी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय के चोटे भगदड होने के कारण गिर जाने से आना बताया गया है। जिरह में साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा विवेचक को किसी प्रकार का बयान दिए जाने अथवा न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। जिरह में पी०डब्लू० 1 द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मारपीट , फायर , गालीगलौज अथवा धमकी दिए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया तथा स्वंय के चोटे ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से आना कहा गया है। पी०डब्लू० 1 द्वारा जिरह में स्पष्ट कहा गया है कि उसके चाचा ने लोगों के बहकावे में आकर न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया गया था तथा बाद में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पी०डब्लू० 1 द्वारा यह भी स्पष्ट कहाग या है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी , लोगों के कहने पर मुल्जिमानों के

विरूद्व झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्तगण पूर्ण रूप से निर्दोष है। इसी प्रकार पी०डब्लू० 2 देवसरन द्वारा घटना के दौरान मारपीट करने वाले एवं फायर करने वालों को पहचान न पाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन स्वंय की मुख्य परीक्षा में किए गए है तथा स्वंय की जिरह में मुकदमा फजी लिखाए जाने , मुल्जिमान द्वारा कोई अपराध न किए जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में घटना कारित करने वालों को पहचान न पाने का स्पष्ट कथन स्वंय की मुख्य परीक्षा में किया गया है तथा स्वंय की जिरह में अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की घटना न किया जाना स्पष्ट रूप से कहा गया है। पी०डब्लू० 4 पुष्पेन्द्र द्वारा भी स्वंय की मुख्य परीक्षा में घटना कारित करने वालों को पहचान न पाना तथा अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना न कारित किए जाने का साक्ष्य दिया गया है। पी०डब्लू० 1 लगायत 4 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। अभियेाजन द्वारा की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नही आया जिससे कि घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित होती हो। मजरूबों का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले साक्षी डा० सुरेन्द्र पठवार द्वारा न्यायालय में स्वंय को पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित कराकर मजरूब रामरतन, देवसरन, वीरेन्द्र, संतोष कुमार, पुष्पेन्द्र , रमेश व रघुनाथ के चिकित्सीय प्रपत्रों को क्रमश प्रदर्श क 3 लगायत 9 के रूप में साबित किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण करने वाले साक्षी पी०डब्लू० 5 के साक्ष्य से मात्र यह साबित होता है कि मजरूबों का चिकित्सीय परीक्षण डा० सुरेन्द्र पठवार द्वारा दिनांक 18–03–95 को सी.एच.सी० अलीगंज एटा में किया गया था। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मजरूबों को फायर आर्म्स व कुन्द आले की चोटे पायी गयी थी। चिकित्सीय परीक्षण करने वाले साक्षी पी०डब्लू० 5 सुरेन्द्र पठवार के साक्ष्य से यह तथ्य साबित नही होता है कि मजरूबों को चोटे अभियुक्तगण द्वारा ही पहुचायी गयी है।

17– उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए सभी तथ्य के साक्षियों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। पी०डब्लू० 1 लगायत 4 द्वारा अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित न किए जाने का स्पष्ट साक्ष्य न्यायालय में दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के दौरान घटना को झूंठा पाते हुए विवेचक द्वारा

अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी थी। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित आरोपों को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

25– सत्र परीक्षण सं० 233/2024 में अभियुक्तगण मुनीश अहिवरन, विजेन्द्र, महताब व श्यामपाल को आरोपित अपराध मु०अ०स० 64A/1995, अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 323/149 भा० द०सं० थाना–कम्पिल के मामलें में दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानत नामे एवं बन्ध पत्र निरस्त किए जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437A द०प्र०स० का अनुपालन एक सप्ताह में करें।

दिनांक– 13.07.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 13.07.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406